

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :-महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 720 3/14/2019 0. पत्र

श्री सुरजपाल 3/0/14 अरुं लाल कुमार नि० नपारखेडा तहसीले

--प्रार्थी।

1-श्रीमती जेमी पत्नी श्री अरुं लाल कुमार नि० नपारखेडा तहसीले  
कुमार नि० नपारखेडा तहसीले

--विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय ::दिनांक: 10/8/2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0 भू0 राज0 अधि01956 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नपारखेडा (पटवार) हल्का पुवांम भू0अ0नि0 क्षेत्र पुवांम के खाता संख्या 176 की आ0नं0 3428/1440 मेरु 3.05 बीघा, 4.11 रकबा 4006/1440 रकबा 3.02 बीघा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य जी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। में प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30/12/19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से रगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की फेरी होने का अदंशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

**:: आदेशः**

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पुवांम पटवार हल्का पुवांम भू0अ0नि0 क्षेत्र पुवांम में उनके खाता संख्या 176 की आ0नं0 3428/1440 मेरु 3.05 बीघा, 4.11 रकबा 4006/1440 रकबा 3.02 बीघा भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि.0 पुवांम को 550/- रुपये इश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। इश्नर.फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये किल विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।  
गन :-प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
सहायक क्लर्क श्री केशव

लिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड उपस्थितकारी अधिकारी  
करेडा जिला-भीलवाडा  
सहायक क्लर्क